इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पांच(133)   भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत द्वारा, उन वस्तुओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-33/2017 /1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017, जो मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 433 दिनांक 5 अगस्त, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-33/2017 /1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017, जो मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 433 दिनांक 5 अगस्त, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(1) इस अधिसूचना में उल्लिखित , "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

अनुबंध

शर्त सं0	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो ।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो । ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए–3–33–2017–1–पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए–3–33–2017–1–पांच (133), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

F-A-3-33-2017-1-V-(133) Bhopal, the 13th October 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the state tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	**Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item**	**Description of Goods**	**Rate**	**Condition No.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	87	Motor Vehicles	65% of state tax applicable otherwise on such goods under Notification No. F-A-3-33/2017-1-V(42), dated the 29th June, 2017, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 293 dated the 29th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of state tax applicable otherwise on such goods under Notification No. F-A-3-33/2017-1-V(42), dated the 29th June, 2017, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 293 dated the 29th June, 2017.	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

(i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1st July, 2017 and supplied on lease before 1st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.